HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] No. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2008/आषाढ़ 30, 1930 NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2008/ASADHA 30, 1930

रक्षा मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

का.नि.आ. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2008 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) में, अंत में आने वाले ''और'' शब्द के स्थान पर ''या'' शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 7(3)/2008-डी (एएफटी सेल)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2008

- S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Armed Forces Tribunal Act (Removal of Difficulties) Order, 2008.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), in Section 6, in sub-section (3), in clause (a), for the word "and" occurring at the end, the word "or" shall be substituted.

[F. No. 7(3)/2008-D (AFT Cell)]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.